संख्या-11/2023/408/78-1-2023-05आई0टी0/2022

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 11 ~~मार्च~~ अप्रैल,2023

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 के अन्तर्गत नोडल संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1829/78-1-2022-05आई0टी0/2022, दिनॉक 18 नवम्बर 2022 द्वारा ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022'' जारी की गई है, जो कि अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त नीति-2022 के प्रस्तर-7.3.1 में व्यवस्था है कि यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022'' के कार्यान्वयन हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को एतद्द्वारा नोडल संस्था नामित किया जाता है, नोडल संस्था परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) के सहयोग से नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्य करेगी। नीति के प्रस्तर-7.4 में परियोजना प्रबन्धन इकाई के गठन के संबंध में निम्नवत व्यवस्था है:-

7.4.1 नोडल संस्था के तहत आउटसोर्स प्रोफेशनल्स तथा कन्सल्टेण्ट्स को शामिल करते हुए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जायेगा ताकि कार्यान्वयन में सहायता और अनुश्रवण किया जा सके।

भवदीय,

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव।